भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 535

जिसका उत्तर 25.07.2024 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों की पुरानी सड़कों और पुलों का रखरखाव

535. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:
श्री पी. पी. चौधरी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुरानी सड़कों और पुलों की मरम्मत और रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का सड़क अवसंरचना, विशेषकर पुराने पुलों की संरचनात्मक अखंडता सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र आरंभ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने राजस्थान के पाली और जोधपुर जिलों में रख-रखाव का कार्य शुरू किया है और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) पुलों, संरचनाओं आदि सहित राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का अनुरक्षण और रख-रखाव विभिन्न तरीकों से किया जाता है। इंजीनियरिंग प्रापण और निर्माण (ईपीसी) अनुबंधों में, ठेकेदार निर्माण अवधि के दौरान और उसके बाद दोष दायित्व अवधि-सह-रखरखाव अवधि के दौरान सड़क का रखरखाव करते हैं। डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर (डीबीएफओटी) / हाइब्रिड एन्युटी मोड (एचएएम) अनुबंधों में, रियायतग्राही निर्माण अवधि के दौरान और उसके बाद रियायत अवधि के अंत तक सड़क का रखरखाव करते हैं। टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफर (टीओटी) / आईएनवीआईटी समझौतों के विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) के रियायतग्राही रियायत अवधि के दौरान सड़क का रखरखाव करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के बाकी हिस्सों का रखरखाव आम तौर पर कार्यनिष्पादन आधारित रखरखाव अनुबंध (पीबीएमसी) और अल्पकालिक रखरखाव अनुबंध (एसटीएमसी) के ठेकेदारों द्वारा किया जाता है।

(ख) पुलों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए दृश्य तथा उपकरण आधारित आवधिक निरीक्षण, मूल्यांकन तथा निगरानी अनिवार्य की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विभिन्न घटकों की संरचनात्मक अखंडता को समय पर मरम्मत/पुनर्रुद्वार उपाय के माध्यम से बनाए रखा जा सके। कुछ बहुत महत्वपूर्ण पुलों में वास्तविक समय के आधार पर संरचनात्मक अवस्था की निगरानी भी की जाती है। मंत्रालय ने देश में पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर पुलों तथा अन्य संरचनाओं की निगरानी तथा रखरखाव के लिए भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली (आईबीएमएस) को भी मंजूरी दी है।

(ग) जी हां, विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

अनुबंध

"**राष्ट्रीय राजमार्गों की पुरानी सड़कों और पुलों का रखरखाव**" के संबंध में श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा एवं श्री पी. पी. चौधरी द्वारा दिनांक 25.07.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 535 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

जिला का नाम	रारा क्रमांक	रारा खंड का नाम	रखरखाव पर व्यय (करोड़ रुपये में)		
			वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24
जोधपुर	रारा- 25	जोधपुर-पचपदरा	-	25.71	19.92
जोधपुर	रारा- 125	जोधपुर-पोकरण	-	24.73	4.36
जोधपुर	रारा- 125	बर-बिलाड़ा-जोधपुर	-	16.30	-
पाली	रारा- 65	जोधपुर-पाली	डीबीएफओटी के अंतर्गत		
पाली	रारा -65 और रारा -14	पाली बाईपास	डीबीएफओटी के अंतर्गत		

*****